

मिस्त्री लाल vs चम्पा कौर

दावा


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

13/2/18


पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित
वादीगण की ओर से श्री इकरामुद्दीन Adv.
ने कालहनामा मय प्रार्थना पत्र 022 R 3 व 4
CPC पेश किया नकल वकील प्रतिवादीगण को
दिलाई गई। वकील प्रतिवादीगण प्रार्थना पत्र
पर जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं। अतः
जवाब प्रार्थना पत्र कन्व किया जाल है। एवम
प्रार्थना पत्र उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रतिवादीगण
को प्रार्थना पत्र 022 R 3 व 4 CPC पर कोई
आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 022 R 3 व
4 CPC स्वीकार किया जाकर मृतक मिस्त्री लाल
वादी नं. 1 के स्थान पर उसके कारिश् रामेन्द्र
पुत्री मिस्त्री लाल को वरिष्ठ वादी 1/1 के रूप में
रिकार्ड पर लिफे जाने के आदेश दिये जाते हैं।
एवं प्रतिवादी नं. 1 मृतक चम्पा के स्थान पर उन्ही
पुत्री रामेश्वरी पुत्री चम्पा को वरिष्ठ प्रतिवादी
नं. 1/1 के रूप में रिकार्ड पर लिफे जाने के
आदेश दिये जाते हैं। मृतक मिस्त्री के अयम
मुकाम की ओर से श्री इकरामुद्दीन Adv. ने प्रार्थना
पत्र के साथ ही अन्य वादीगण के साथ कालहना
नामा पेश कर दिया है। एवं मृतक चम्पा की
कारिश् रामेश्वरी की ओर से विष्णु चन्द वसल
एवम के कालहनामा पेश किया जो प्रामिष
पत्रावली किया गया। वकील वादीगण ने वाद
पत्र को विशु करके का प्रार्थना पत्र 023 R
CPC पेश किया नकल वकील प्रतिवादीगण को
दिलाई गई। प्रतिवादीगण वकील को व प्रतिवादीगण
को दावा विशु लिफे जाने से कोई आपत्ति

राजेन्द्र
शुबीर शर्मा


Rajendra
Sharma

R. G. S. रामेश्वरी

राधिका
राम गोपाल
राम रामेन्द्र


-13-2-18

मिस्त्री लाल vs चम्पा कौर
13/2/18
10/11/18


0-2

CPC प्रेष किया नकल वमेल प्रतिवादीगण को
 दिलाई गई। वकील प्रतिवादीगण प्रार्थना पत्र
 पर जवाब पेश नही करना चाहे है अतः
 जवाब प्रार्थना पत्र कन्व किया जाण है वरुण
 प्रार्थना पत्र उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रतिवादीगण
 को प्रार्थना पत्र 022 R 3 व 4 CPC पर कोई
 आपत्ति नही है। अतः प्रार्थना पत्र 022 R 3 व
 4 CPC स्वीकार किया जाकर मृतक मिश्री लाल
 वादी नं. 1 के स्थान पर उसके कारिश् राजेन्द्र
 ठुन मिश्री लाल को वरुण वादी 1/1 के रूप में
 रिकार्ड पर लिफे जाने के आदेश दिये जाते हैं।
 एवं प्रतिवादी नं. 1 मृतक चम्पा के स्थान पर उरुण
 पुत्री रामेश्वरी पुत्री पंच्या को वरुण प्रतिवादी
 नं. 1/1 के रूप में रिकार्ड पर लिफे जाने के
 आदेश दिये जाते हैं। मृतक मिश्री के मयम
 मुकाम की ओर से श्री इकरामुद्दीन A.V. के प्रार्थना
 पत्र के साथ ही अन्य वादी गण के साथ वकालत
 नामा पेश कर दिया है। एवं मृतक चम्पा की
 कारिश् रामेश्वरी की ओर से विष्णु चन्द वसल
 एडवोकेट के वकालत नामा पेश किया जो प्रामिष
 पत्रावली किया गया। वकील वादीगण ने वाद
 पत्र को विज्ञा करके का प्रार्थना पत्र 023 R।
 CPC प्रेष किया नकल वमेल प्रतिवादीगण को
 दिलाई गई। प्रतिवादीगण वकील को व प्रतिवादीगण
 को दावा विज्ञा लिफे जाने से कोई आपत्ति
 नही है।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष सहमत हैं।
 अतः प्रार्थना पत्र वादीगण 023 R। CPC स्वीकार
 किया जाण है। दावा वरुण विज्ञा कर कारिश्
 किया जाण है। पत्रावली केवल शुभारंभ के
 नम्बर से कम है। वाद वकमील कारिवल
 दफ्तर हो

(Signature)
 अधिका
 दफ्तर

उ
(Signature)
(Signature)

R.G. रामेश्वरी

 वाद लाल
 राम गोपाल
 राम शंकर
 gchme
 13-2-18